

बिहार विशेष राज्य के दर्जा के मानक पर खड़ा उतरता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए - नितेश कुमार

By : INVC Team Published On : 13 Sep, 2011 12:03 AM IST



आई.एन.वी.सी., पटना., बिहार विशेष राज्य के दर्जा के मानक पर खड़ा उतरता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुलाकात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की माँग से जुड़ी तमाम बिंदुओं पर विचार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य सचिव सुधा पिल्लई की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयीय समूह गठित किए जाने की कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे इसे सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की माँग लगातार की जाती रही है। पूर्व में भी इस माँग के समर्थन में उनके द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। जदयू के प्रदर्शकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर एक करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन को सौंपा है। वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) सुमित बोस को अंतर-मंत्रालयीय समूह के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। राज्य सरकार से बातचीत इस समूह की होनी चाहिए। दिए गए मेमोरेण्डम के हर बिंदु पर विस्तार से अंतर-मंत्रालयीय समूह विचार करे। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी दिल्ली राज्य के प्रति व्यक्ति आमदनी की तुलना में बहुत कम यानी 1/7 है। बिहार विकास के सभी मानक में पीछे रहा है। सभी दृष्टिकोण से बिहार पीछे है। इसे बराबरी में लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की पहल करनी होगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश बढ़ेंगे। केंद्रीय उत्पाद, आयकर सहित कुछ अन्य करों में छूट मिलेगी, जिससे राज्य में निवेश की संभावना बढ़ेगी। पिछड़पेन को दूर करने के लिए कई विशेष योजनाएँ शुरू होंगी। मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मध्यप्रदेशों एवं उतर प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण सोन नदी में जलस्राव काफी बढ़ा है जिस कारण सोन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुयी है। वाणसागर से छूटा पानी अभी नहीं पहुंचा है। इस पानी के पहुंचने पर सोन और गंगा नदी पर प्रभाव पड़ेगा। गंगा नदी के तटवर्ती स्थानों पर पानी बढ़ रहे हैं। गंगा तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को संभावित बाढ़ से आगाह कर दिया गया है। सोन नदी के टिलो में जगह-जगह पर फंसे लोगों को निकाल लिया गया है और जो कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे निकाल लेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। बचाव एवं राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वे सांप्रदायिक हिंसा के वे सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में नहीं जाने का कारण पूर्व से निर्धारित कार्यों में व्यस्त रहना था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने भाग लिया और राज्य के पक्ष को रखा। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित केंद्र द्वारा लाए जा रहे विधेयक से संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कानून के राज और सुशासन से ही सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सकता है। पिछले छह वर्षों में इसे करके बिहार ने दिखाया है। प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में आंतरिक अशांति की स्थिति में संविधान की धारा-355 लगाने की बात की गई है। यह राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप का प्रयास है। उन्होंने कहा कि विधेयक लाने के पीछे छुपी यह धारणा भी गलत है कि प्रशासनिक निर्णय लेने में राज्य में गड़बड़ियाँ होती हैं। केंद्र सरकार से भी कई मामलों में गंभीर चूक होती रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण पिछले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में देखा जा सकता है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने लोक सेवक को परिभाषित किया और कहा कि जिस भी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति का मामला आएगा, उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। देश में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया गया है और उसका उपयोग बेहतर कार्य शिक्षा में गणवता के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। राज्य के सभी लोक सेवकों की संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन रखा गया है। इस ब्योरा को हर साल अद्यतन किए जाने का निदेश भी दिया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक पार्टी को शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अभियान चलाने की आजादी संविधान ने दी है। राज्य में खाद की कमी से संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद की किल्लत के लिए केंद्र जिम्मेदार है। बिहार के खाद के कोटा को महाराष्ट्र, उतर प्रदेशों एवं अन्य राज्यों की ओर डायवर्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के सांसदों ने इस मामले को संसद में उठाया। बिहार के साथ किसी तरह की नाइन्साफी नहीं होने दी जाएगी। नालंदा महाविहार के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य से संबंधित नहीं है, नियुक्ति केंद्र को करनी है। राज्य का रॉल सीमित है। राज्य अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है और नालंदा महाविद्यालय की स्थापना के लिए हर सहयोग

प्रदान कर रहा है। आज के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ने 774 मामलों की बारी-बारी से सुनवाई की और समुचित आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी। ज्ञातव्य है कि आज के जनता दरबार में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस अवसर पर कल्याण मंत्री श्री जीतन राम माँझी, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती परवीन अमानुल्लाह, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पीके शाही, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री हरि प्रसाद साह एवं संबंधित विभाग के प्रधान सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/बिहार-विशेष-राज्य-के-दर्ज/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.
